बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
आदेश

संचिका संख्या : 11/वि1–50/2013............. पटना, दिनांक ....

बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली–2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) तथा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली–2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अधीन पंचम् चरण के शिक्षक नियोजन की कार्रवाई से संबंधित पूर्व में निर्गत समय तालिका के अनुरुप कतिपय नियोजन इकाईयों के द्वारा नियोजन की कार्रवाई पूर्ण नहीं करने से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त हुई है। इस क्रम में संबंधित नियोजन ईकाइ/जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी। साथ ही, दिनांक–05–07–2017 को निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) के स्तर पर संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के साथ बैठक कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर उपलब्ध प्रतिवेदनों/सूचना के आधार पर निम्नांकित नियोजन ईकाई में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पंचम् चरण के शिक्षक नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए संशोधित समय तालिका निर्धारित की जाती है:–

क्र०	जिला का नाम	नियोजन इकाई का नाम	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	मेधा सूची का प्रकाशन	मेधा सूची पर आपति	आपतियों का निराकरण	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/जॉच	जिला परिषद/ शहरी निकाय के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण	जिला स्तर ५, नियोजन इकाई द्वारा काउन्सिलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत करना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पटना	नगर निगम, पटना	X	X	X	X	05–08–17	09–08–17 से 16–08–17	21–08–17	22–08–17	28–08–17
		जिला परिषद, पटना	X	X	X	X	28–07–17	01–08–17 से 07–08–17 तक	11–08–17	17–08–17	25–08–17
		नगर परिषद मोकामा	X	X	X	X	X	X	29–07–17	03–08–17	07–08–17
		नगर परिषद, बाढ़	X	X	X	X	X	X	X	X	28–07–17
		नगर पंचायत फतुआ	X	X	X	X	28–07–17	02–08–17	07–08–17	09–08–17	11–08–17
		नगर पंचायत खुसरुपुर	X	X	X	X	X	X	X	X	28–07–17
2	भोजपुर	जिला परिषद, भोजपुर	28–07–17	01–08–17	03–08–17 से 18–08–17 तक	22–08–17 तक	25–08–17	29–08–17 से 31–08–17 तक	04–09–17	07–09–17	11–09–17
3	नालंदा	जिला परिषद, नालंदा	X	X	X	X	X	X	29–07–17	03–08–17	07–08–17
		नगर पंचायत इस्लामपुर	X	X	X	X	X	X	29–07–17	03–08–17	07–08–17

क्र०	जिला का नाम	नियोजन इकाई का नाम	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	मेधा सूची का प्रकाशन	मेधा सूची पर आपति	आपत्तियों का निराकरण	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/जाँच	जिला परिषद/ शहरी निकाय के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण	जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउन्सिलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत करना
4	रोहतास	जिला परिषद, रोहतास	X	X	X	X	X	X	X	X	28–07–17
5	मधेपुरा	जिला परिषद, मधेपुरा	X	X	X	X	X	X	X	X	28–07–17
6	सीतामढ़ी	जिला परिषद, सीतामढ़ी	X	X	X	X	X	X	X	28–07–17	31–07–17
7	पूर्वी चम्पारण	जिला परिषद् पूर्वी चम्पारण नगर पंचायत, ढ़ाका, अरेराज, सुगौली, चकिया, केसरिया, मेहसी एवं नगर परिषद् मोतिहारी तथा रक्सौल	28–07–17	01–08–17	03–08–17 से 18–08–17 तक	22–08–17 तक	25–08–17	29–08–17 से 31–08–17 तक	04–09–17	07–09–17	11–09–17
8	शेखपुरा	जिला परिषद, शेखपुरा	X	X	X	X	X	X	X	X	28–07–17
9	बेगूसराय	जिला परिषद, बेगूसराय	X	X	X	X	X	X	X	X	28–07–17
10	प0 चम्पारण	जिला परिषद्, प0 चम्पारण	X	X	X	X	X	X	28–07–17	01–08–17	04–08–17
11	बक्सर	जिला परिषद, बक्सर	X	X	X	X	X	X	X	28–07–17	31–07–17

उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार निम्नांकित निदेश के अक्षरशः अनुपालन के साथ नियोजन किया जाना आवश्यक है :–

1. सभी संबंधित नियोजन ईकाई यह सुनिश्चित करेगें कि दिनांक–31.12.15 तक उपलब्ध विषयवार शिक्षकों के रिक्त पद के आधार पर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई की जाय।
2. जिलान्तर्गत सभी नियोजन इकाई जिला मुख्यालय में एक ही परिसर में कॉउन्सिलिंग एवं नियोजन पत्र निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी का दायित्व होगा की सभी नियोजन इकाई के सदस्य सचिव एवं जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर नियोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
3. नियोजन से संबंधित उक्त कार्यक्रम में विभाग के पूर्वानुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। **साथ ही, विभाग के पूर्वानुमति के बिना निर्धारित समय तालिका से हटकर यदि किसी नियोजन ईकाई के द्वारा शिक्षकों का नियोजन किया जाता है, तो ऐसे नियोजन को विभाग द्वारा मान्यता नहीं दी जायेगी, और तदनुरुप अनुवर्त्ती कार्रवाई की जायेगी।**
4. अधिसूचित नियुक्ति नियमावली के आलोक में नियोजन इकाई का दायित्व है कि विभागीय निदेश एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक वैध डिग्रीधारी अभ्यर्थियों का नियोजन सुनिश्चित किया जाय। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से शिक्षक पात्रता परीक्षा फल के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का STET प्रमाण पत्र का मिलान अनिवार्य रूप से कर लिया जाय। यह नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की निजी जवाबदेही होगी। भविष्य में फर्जी चयन पाये जाने पर सदस्य सचिव पर भी इसकी जवाबदेही निर्धारित की जायेगी।
5. नियोजन इकाई द्वारा कॉउन्सिलिंग के क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करने के पूर्व शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र नियोजन इकाई में जमा कराना अनिवार्य होगा।

6. नियोजन इकाई द्वारा नियोजन से संबंधित वांछित सूचना यथा अन्तिम मेधा सूची का प्रकाशन, उपलब्ध विषयवार एवं विद्यालयवार रिक्ति का प्रकाशन आदि संबंधित जिले के NIC के बेवसाइट पर किया जाना अनिवार्य है। NIC के बेवसाइट पर सूचना प्रकाशित कराने की जिम्मेवारी संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

7. जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक यह सुनिश्चित करेगें की उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियोजन ईकाई में नियोजन की प्रक्रिया संपन्न हो। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित नियोजन ईकाई के सदस्य सचिव से संपर्क स्थापित कर उत्पन्न कठिनाई के निराकरण हेतु पहल करेंगे। नियोजन नहीं होने की स्थिति में इनके द्वारा सुस्पष्ट प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. कॉउन्सिलिंग के दरम्यान अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय जिसमें यह अंकित हो कि किसी अन्य नियोजन इकाई में वे पूर्व से नियोजित नहीं है। साथ ही, उनका शैक्षणिक–प्रशैक्षणिक एवं शिक्षक पात्रता का प्रमाण पत्र सही है। गलत सूचना देने पर कानूनी कार्रवाई के लिए नियोजन इकाई सक्षम होगा।

कृपया उक्त निदेश के अनुरुप निर्धारित समय तालिका का अनुपालन करते हुए पंचम चरण के नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करने में सभी संबंधित अपना–अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/–
(रॉबर्ट एल0 चोंग्थू)
सचिव, शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि1–50/2013...1883 पटना, दिनांक ...25/7/ 2017

प्रतिलिपि : (1) संबंधित नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) संबंधित जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सचिव, शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि1–50/2013...1883 पटना, दिनांक ...25/7/ 2017

प्रतिलिपि : (1) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड कर दिया जाय।

25.7.17
सचिव, शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।